संख्या- 01/2023/।/459547/2023/001-71-2099-36-2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 01 जनवरी, 2024**

विषयः- के0जी0एम0यू0 लखनऊ नवीन दंत संकाय भवन के भूतल पर निर्मित वार्ड/हॉल के कमरों को तोडकर उसके स्थान पर माडयूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना में व्याप्त कमियों के निराकरण कराए जाने हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-9745/योजना अनु0/2023, दिनांक 14.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ नवीन दंत संकाय भवन के भूतल पर निर्मित वार्ड/हॉल के कमरों को तोडकर उसके स्थान पर माड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना में व्याप्त कमियों के निराकरण कराए जाने हेतु रू0 221.97 लाख का संशोधित आगणन उपलब्ध कराते हुए धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 लखनऊ में नवीन दंत संकाय भवन के भूतल पर निर्मित वार्डहॉल के कमरों को तोडकर उसके स्थान पर माड्यूलर / ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना में व्याप्त कमियों के निराकरण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 के 24-बृहद निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि से अनुदान संख्या-31 से रू0 1,75,37,000/- एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 46,60,000/- अर्थात कुल रू0 2,21,97,000/- (रू0 दो करोड इक्कीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1) **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।**
2) **प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3) आगणन में प्राविधानित ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है उनके सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत कार्य सम्पादित कराया जाये।
4) कार्यों में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु विश्वविद्यालय/ कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023/231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
8) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
9) आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है। जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
10) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।
11) आगणन में 10 प्रतिशत सेन्टेज का प्रावधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा। आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
12) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
13) आगणन में प्राविधानित वे मदें , जो पी0डब्ल्यू0 डी0 एस0ओ0 आर0 एवं डी0 एस0आर0 में निहित है का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है उनके सम्बन्ध में यह मंतव्य है कि कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,75,37,000/- (रुपये एक करोड पचहत्तर लाख सैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 46,60,000/- (रुपये छियालिस लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2023/।/459547/2023/001-71-2099-36-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।**
5. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**
6. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
7. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
8. **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।